

कार्यालय : कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा), कटिहार।

—:कार्यालय सूचना :—

BTM, ATM एवं Block Level Accountant के योगदान के संबंध में।

कटिहार जिला अन्तर्गत प्रखंड तकनीकी प्रबंधक, सहायक तकनीकी प्रबंधक एवं प्रखंड स्तरीय लेखापाल के संविदा आधारित नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को सहर्ष सूचित किया जाता है कि प्रधान सचिव, कृषि, बिहार, पटना के पत्रांक— 1889, दिनांक— 19.01.2019 एवं पत्रांक 993, दिनांक 22.07.2019 के आलोक में विभागीय निदेश के अनुरूप संविदा आधारित नियोजन की प्रक्रिया पूर्ण करते हुए नियोजन पत्र वितरण की तिथि दिनांक 25.04.2022 को पूर्वाह्न 11:00 बजे (विकास भवन स्थित डी०आर०डी०ए० सभागार) निर्धारित है जिसमें सभी चयनित अभ्यर्थियों की उपस्थिति अनिवार्य है। उक्त तिथि से दिनांक 05.05.2022 तक कार्यालय अवधि में (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक) चयनित अभ्यर्थियों द्वारा आत्मा कार्यालय, कटिहार में अपना योगदान निम्नांकित शर्तों के आधार पर किया जा सकता है :-

1. **Final Selected List** में आने वाले उम्मीदवारों के द्वारा दिनांक 25.04.2022 से दिनांक 05.05.2022 तक (पूर्वाह्न 10:00 बजे से अपराह्न 5:00 बजे तक) कार्यालय अवधि में योगदान नहीं करने की स्थिति में उनकी अभ्यर्थिता स्वतः समाप्त मानी जायेगी तथा उनके स्थान पर मेधा तथा रोस्टर के आधार पर **Final Waiting list** से अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
2. **Final Selected List** में आने वाले सभी अभ्यर्थियों को योगदान करने की सूचना **Speed post/E-mail/SMS** और दूरभाष द्वारा भी दी जा रही है।
3. सेवा अवधि अधिकतम 60 वर्षों की आयु तक ही सीमित होगी।
4. भारत सरकार के मार्गदर्शिका/राज्य सरकार के राज्यादेश/बामेती/शाषी परिषद्/IDWC के अनुसार नियत वेतन में वृद्धि की जायेगी।
5. वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में कहीं पर कार्यरत हैं, उन्हें योगदान के समय संस्थान/विभाग द्वारा अनापत्ती प्रमाण-पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।
6. योगदान करने के समय असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा।
7. **एकरारनामा** — संविदा आधारित नियोजन के पूर्व चयनित अभ्यर्थी एवं नियोजन प्राधिकार के बीच एक एकरारनामा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत संलग्न निर्धारित प्रपत्र में किया जायेगा। यह एकरारनामा प्रत्येक वर्ष संबंधित अभ्यर्थी के सेवा अवधि विस्तार के बाद किया जायेगा।
8. संबंधित अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को कार्यालय अवधि में स्वयं उपस्थित होकर मो0 100 (एक सौ) रुपये मात्र के **Non-Judicial Stamp Paper** पर अपने एकरारनामा पर हस्ताक्षर कर योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।
9. **नियोजन की अवधि** — संविदा के आधार पर नियोजन एक (01) वर्ष के लिए होगा। कार्य संतोषजनक पाए जाने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार (जिला पदाधिकारी —सह— अध्यक्ष आत्मा शासी परिषद) द्वारा अवधि विस्तार किया जा सकेगा। कार्य संतोषप्रद नहीं होने पर मूल्यांकन के आधार पर कभी भी सेवामुक्त किया जा सकता है।
10. **नियोजन की समाप्ति** — अनुबंध की अवधि समाप्ति के पूर्व यदि नियोजित व्यक्ति का अवधि विस्तार सक्षम प्राधिकार (जिला पदाधिकारी —सह— अध्यक्ष आत्मा शासी परिषद) से नहीं होता है तो वैसे

स्थिति में निर्धारित तिथि को उनका नियोजन स्वतः समाप्त माना जायेगा और इसके लिए कोई आदेश निर्गत किया जाना अपेक्षित नहीं होगा।

11. आत्मा अंतर्गत नियोजित कर्मियों को उनके कार्यों के मूल्यांकन के आधार पर संविदा पर नियोजित कर्मियों को हटाने का अधिकार परियोजना निदेशक, आत्मा के माध्यम से सक्षम प्राधिकार (जिला पदाधिकारी –सह– अध्यक्ष आत्मा शासी परिषद) को होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार की अपील जिला पदाधिकारी –सह– अध्यक्ष आत्मा शासी परिषद के स्तर पर की जायेगी, जिनका निर्णय अंतिम होगा।
12. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और ना ही सरकारी सेवकों को अनुमान्य किसी भी सुविधा के हकदार माने जायेंगे। इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात् सरकार की सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।
13. अवधि विस्तार – चूंकि आत्मा योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। अतः संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों का अवधि विस्तार प्रति वर्ष अधिकतम 60 वर्षों की उम्र तक, या तबतक किया जायेगा जबतक भारत सरकार द्वारा आत्मा योजना के कार्यान्वयन हेतु केन्द्र सरकार से योजना की स्वीकृति तथा आवश्यक निधि प्राप्त होती रहेगी।
14. नियोजित कर्मियों के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन के उपरांत ही मानदेय/नियत वेतन देय होगा। जांचोपरांत प्रमाण पत्र में अंकित सूचना गलत पाये जाने की स्थिति में नियोजन तत्काल समाप्त कर दिया जायेगा।
15. संविदा पर नियोजित कर्मियों का दायित्व – कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत मार्गदर्शिका/नियम/परिनियम के आलोक में भारत सरकार, राज्य सरकार, अंतर्विभागीय कार्य समूह (IDWG), बामेती शासी परिषद, बामेती कार्यकारिणी समिति, निदेशक, बामेती/आत्मा शासी परिषद द्वारा निर्गत दायित्वों का निर्वहन नियोजित कर्मियों को करना होगा। संविदा पर नियोजित कर्मियों का मुख्य दायित्व बामेती के माध्यम से आत्मा योजना को सफल एवं पारदर्शी तरीके से कार्यान्वयन सुनिश्चित कराना है।
16. संविदा के आधार पर आत्मा में नियोजित कर्मियों पर प्रशासनिक नियंत्रण परियोजना निदेशक, आत्मा और जिला पदाधिकारी –सह– अध्यक्ष आत्मा शासी परिषद का होगा।
17. दिनांक 05.05.2022 के अपराह्न 05:00 बजे तक योगदान नहीं करने वाले Final List of Selected Candidate का योगदान संबंधी कोई भी दावा बाद में स्वीकार नहीं किया जायेगा, जिसकी सारी जिम्मेवारी संबंधित अभ्यर्थी की होगी।

ज्ञापांक: 187/आत्मा, कटिहार दिनांक 13/04/2022
प्रतिलिपि:— कटिहार जिला अन्तर्गत BTM ATM, Account के लिए संविदा आधारित नियोजन हेतु अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

परियोजना निदेशक (आत्मा),
कटिहार। 13/04/22

परियोजना निदेशक (आत्मा),
कटिहार। 13/04/22